□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□ज□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 105
02 □□□□□, 2021 □□ □□□□□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

□□□□□-19 □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□

105 श्र□□□□ □□□□ □□□ □□□□:

क्या स्वास्थ्य और □रि□वार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कोविड-19 के टीकों के चयन एवं खरीद के लिए क्या-क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) अभी तक कुल कितनी मात्रा में टीकों की खरीद की गई है और खरीद का कुल लागत कितनी है;

(ग) कुल कितनी मात्रा में टीकों की खरीद करने के लिए खरीद-पूर्व समझौते किये गये हैं?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री □□श्वे□□ □□□□ □□□□)□

(क): कोविड-19 टीकों, जिन्हें भारतीय औषधि महानियंत्रक [डीसीजी (आई)] द्वारा आपातकालीन स्थिति में सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी गई है, का देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए चयन और अधिप्राप्ण कर लिया गया है।

(ख): कोविड-19 टीके की कुल 165 लाख खुराकों का अधिप्राप्ण कर लिया गया है जिसमें 110 लाख खुराक मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विनिर्मित कोविशील्ड वैक्सीन हैं और 55 लाख खुराक मैसर्स भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विनिर्मित कोवासिन वैक्सीन हैं। टीकों की उपयुक्त खुराकों के अधिप्राप्ण की कुल लागत 350.25 करोड़ (सभी कुछ शामिल) भारतीय रुपए है।

(ग): कोई अधिप्राप्ण पूर्व-करार नहीं किया गया है।

****